461

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 26, 2002/भाद्र 4, 1924

No. 169] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 26, 2002/BHADRA 4, 1924

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2002

सं. टीएएमपी/112/2001-टीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार तूतीकोरिन पत्तन से निर्यात किए जाने वाले गेहूं की घाट शुल्क दर में कमी करने के लिए मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कार्पोरेशन (एमएमटीसी) से प्राप्त अभ्यावेदन का निपटान करता है।

अनुसूची

मामला सं. टीएएमपी/112/2002-टीपीटी

मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कार्पोरेशन (एमएमटीसी) ---------------- **आवेदक**

बनाम

तूतीकोरिन पत्तन न्यास (टीपीटी) ---------------- **प्रत्यर्थी**

आदेश

(अगस्त, 2002 के 12वें दिन पारित)

यह मामला तूतीकोरिन पत्तन से निर्यात किए जाने वाले गेहूँ की घाटशुल्क दर में कमी करने के लिए मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कार्पोरेशन से प्राप्त अभ्यावेदन से संबंधित है।

2. एमएमटीसी ने अपने अभ्यावेदन के समर्थन में निम्नलिखित मुख्य बातें कही हैं :-

(i) एमएमटीसी ने नवंबर, 2000 से अब तक तूतीकोरिन पत्तन से 2.3 लाख मी.ट. से अधिक गेहूँ का निर्यात किया है।

(ii) पिछले सामान्य संशोधन आदेश में, तूतीकोरिन पत्तन से निर्यात किए जाने वाले गहूँ का घाटशुल्क प्रभार जोन 'क' लिए 20/- रुपए प्रति मी.ट. से बढ़ाकर 42/- रुपए प्रति मी.ट. कर दिया गया था। यह अन्य पत्तनों में प्रचलित दरों तुलना में बहुत अधिक है। उदाहरणार्थ कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) में यह 15/- रुपए प्रति मी.ट. (वर्तमान दर 7.5 रुपए प्रति मी.ट.), विशाखापट्णम पत्तन न्यास (वीपीटी) में 25/- रुपए प्रति मी.ट. और काकिनाडा लघु पत्तन में 20 रुपए प्रति मी.ट. है।

(iii) सरकार ने निजी निर्यातकों को भी गेहूँ निर्यात करने की अनुमति दी हुई है। इनमें से अधिकांश पार्टियाँ कांडला पत्तन- गेहूँ निर्यात कर रही हैं, इस पत्तन में प्रहस्तन प्रभार बहुत कम हैं और घाटशुल्क दर भी नाममात्र है। ये निजी पार्टि बहुत प्रतिस्पर्धी दर पर निर्यात के लिए गेहूँ दे रही हैं, इससे एमएमटीसी जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान को नुकसा हो रहा है।

(iv) घाटशुल्क दर में वृद्धि से तूतीकोरिन पत्तन से प्रहस्तित यातायात की मात्रा पर प्रभाव पड़ा है। इस पत्तन से गेहूँ क अधिकतम निर्यात किया जा रहा है।

(v) उपर्युक्त के मद्देनज़र, इस पत्तन के सर्वोत्तम हित के लिए टीपीटी में घाटशुल्क दर में कमी करने पर विचार किया जाए।

3.1. निर्धारित विचार-विमर्श प्रक्रिया के अनुसार, एमएमटीसी से प्राप्त अभ्यावेदन की प्रति टीपीटी और पत्तन प्रयोक्ताओं की संबद्ध प्रतिनिधि संस्थाओं को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित की गई थी। उनसे प्राप्त टिप्पणियों का सार निम्नलिखित है :-

तूतीकोरिन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (टीसीसीआई)

(i) एमएमटीसी का अभ्यावेदन शिकायत मात्र है, जिस पर सकारात्मक दृष्टि से विचार किया जा सकता है।

(ii) टीपीटी द्वारा निर्धारित दरें अधिक हैं और इसलिए इस अभ्यावेदन को अन्य चीजों को एकसमान बनाए जाने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

सीमाशुल्क लाइसेंसधारी एजेंट्स एसोसिएशन (सीएलएए)

(i) यह एमएमटीसी के मतों का पूणतः समर्थन करता है।

(ii) 42/- रुपए प्रति मी.ट. की घाटशुल्क दर बहुत अधिक है। अन्य पत्तनों की दरों को ध्यान में रखकर और तूतीकोरिन पत्तन से यातायात को बढ़ावा देने के लिए इसमें संशोधन किया जाए।

तूतीकोरिन स्टीमर एजेंट्स एसोसिएशन (टीएसएए)

एमएमटीसी का अनुरोध स्वाभाविक है, क्योंकि टीपीटी में गेहूँ की वर्तमान घाटशुल्क दर भारत के अन्य पत्तनों की तुलना में बहुत अधिक है।

इंण्डियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री (आईसीसीआई)

(i) टीपीटी से थोक में गेहूँ निर्यात करने की घाटशुल्क दर अन्य पत्तनों की तुलना में बहुत अधिक है। यह कांडला पत्तन में लागू दर से 5 गुणा, मुम्बई पत्तन में लागू दर से 7 गुणा, विशाखापट्णम पत्तन में लागू दर से 2 1/2 गुणा और काकिनाडा (लघु) पत्तन में लागू दर से 2 गुणा अधिक है।

(ii) टीपीटी में वसूल की जा रही अधिक घाटशुल्क दर के मद्देनज़र, तूतीकोरिन पत्तन से गेहूँ के निर्यात में कुल निर्यात के 12% की कमी हुई है। यद्धपि, हमारे देश से गेहूँ का कुल निर्यात 4.3 मी.ट. है, टीपीटी केवल 3.5 लाख टन गेहूँ का निर्यात कर सका है।

(iii) यदि टीपीटी में घाटशुल्क 15/- रुपए प्रति मी.ट. अर्थात् अन्य पत्तनों की औसत दर के बराबर कर दी जाती है तो पत्तन कुल गेहूँ निर्यात का कम से कम 35% प्राप्त कर सकता है।

(iv) इसने टीपीटी में वसूल की जा रही मजदूरी की तुलना प्रस्तुत की है, जो अन्य पत्तनों की तुलना में अधिक है।

(v) (क) गेहूँ के लिए 18.38 रुपए प्रति मी.ट. के वर्तमान साइडिंग प्रभार (सेवा कर सहित) पहले से ही अधिक हैं।
(ख) इसमें और वृद्धि से लागत वृद्धि के कारण व्यापार और वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव पड़ेगा।
(ग) चूंकि, गेहूँ और अन्य वस्तुओं के साइडिंग प्रभार चावल, चीनी और मक्की के समान है, इसलिए इसमें वृद्धि न की जाए।

(vi) तत्पश्चात, यह अनुरोध है कि देश के हित में और टीपीटी से अधिक निर्यात करने के लिए निर्यात किए जाने वाल गेहूँ की घाटशुल्क दर कांडला पत्तन में प्रचलित दरों के समान 7.50 रुपए प्रति मी.ट. की जाए। गेहूँ के आयात के मामले में वर्तमान घाटशुल्क दर जारी रखी जाए।

ऑल इंडिया चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एआईसीसीआई)

(i) भारत सरकार ने नवंबर, 2000 में वर्षों से एकत्र किए गए अधिक भण्डार को अनावश्यक रूप से बेकार होने से बचाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के माध्यम से गेहूँ निर्यात करने की अनुमति दी थी। इसे कार्यान्वित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को पर्याप्त रूप से कम दर पर निर्यात बाजार के लिए गेहूँ उतारने का निदेश दिया गया। तदनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को मुम्बई, कांडला, विज़ाग, काकिनाडा और तूतीकोरिन पत्तनों से गेहूँ निर्यात करने की स्वीकृति दी गई।

(ii) प्रारंभिक अवधि के दौरान, घाटशुल्क दर अन्य पत्तनों के बराबर थी और एमएमटीसी ने टीपीटी से 2.3 लाख मी.ट. गेहूँ का निर्यात किया था। परंतु, हाल ही में निर्यातित गेहूँ के घाटशुल्क प्रभारों को अत्यधिक बढ़ाकर 42/- रुपए प्रति मी.ट. कर दिया गया है।

(iii) टीपीटी ने अब तक केवल लगभग 3 लाख टन निर्यात का प्रहस्तन किया है, जबकि अन्य पत्तनों ने मिलकर 40 लाख टन का प्रहस्तन किया है। कम मात्रा का कारण तूतीकोरिन पत्तन में अन्य पत्तनों की अपेक्षा अत्यधिक घाटशुल्क वसूल किया जाना है।

(iv) टीपीटी में अधिक घाटशुल्क प्रभार सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने के प्रयत्नों को बार-बार अवरोधित कर रहे हैं।

(v) भारत सरकार ने गेहूँ निर्यात करने के लिए निजी पार्टियों को भी अनुमति दी हुई है। सांकेतिक स्तर पर घाटशुल्क दर निर्धारित करने से एमएमटीसी के अलावा निजी पार्टियाँ भी तूतीकोरिन पत्तन से गेहूँ निर्यात करने के लिए आकर्षित होंगी।

(vi) इसने आईसीसीआई के मत को दोहराया है कि गेहूँ के निर्यात की घाटशुल्क दर कांडला पत्तन पर यथा लागू 7.50 रुपए प्रति मी.ट. की जाए।

4.1. विभिन्न पत्तन प्रयोक्ताओं से प्राप्त टिप्पणियाँ टीपीटी और एमएमटीसी को प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में प्रेषित की गई थीं।

4.2. टीपीटी ने प्रारंभ में सूचित किया था कि गेहूँ के निर्यात की घाटशुल्क दर को कम करने का प्रस्ताव दरों के मान में सामान्य संशोधन के इसके प्रस्ताव के साथ अनुमोदन के लिए अपने न्यासी बोर्ड को प्रस्तुत किया गया था।

4.3. तत्पश्चात, टीपीटी ने मार्च, 2002 में सामान्य संशोधन प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव में, टीपीटी ने गेहूँ के घाटशुल्क प्रभारों में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव किया है :-

क्र.सं.	विवरण	प्रभार की इकाई	प्रस्तावित घाटशुल्क दर	
			जोन क (रुपयों में)	जोन ख (रुपयों में)
9.	खाद्यान्न और खाद्य उत्पाद :-			
	1. आयात गेहूँ	1 मी.ट.	47.00	21.00
	2. निर्यात गेहूँ	1 मी.ट.		
	(i) 2 लाख टन तक		35.00	16.00
	(ii) 2 लाख टन से अधिक परंतु 3 लाख टन से कम		30.00	14.00
	(iii) 3 लाख टन से अधिक		25.00	12.00

5.1. सामान्य संशोधन प्रस्ताव में निर्यात गेहूँ के लिए टीपीटी द्वारा प्रस्तावित दरें एमएमटीसी और संबद्ध पत्तन प्रयोक्ताओं/पत्तन प्रयोक्ताओं की प्रतिनिधि संस्थाओं को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजी गई थीं। विभिन्न पत्तन प्रयोक्ताओं से प्राप्त टिप्पणियों का सार निम्नलिखित है :-

इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (आईसीसीआई)

(i) टीपीटी पत्तन देयताएं अधिक होने से सभी वस्तुओं, विशेषतः तूतीकोरिन पत्तन से निर्यातित गेहूँ की लागत में वद्धि हो रही है। इस वृद्धि से यह वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने और विदेशी विक्रेताओं से पर्याप्त मात्रा के आदेशों को सुरक्षित करने की स्थिति में नहीं है, जबकि भारत सरकार ने निर्यात के लिए 50 लाख मी.ट. अधिशेष खाद्यान्नों की घोषणा की है।

(ii) अन्य भारतीय पत्तनों में घाटशुल्क प्रभार कम हैं, विशेष रूप से कांडला में यह प्रभार केवल 7.50 रुपए प्रति मी.ट. है। प्रतिस्पर्धात्मक पत्तन प्रभारों और प्रहस्तन लागत के परिणामस्वरूप, कांडला पत्तन से एक लाख मी.ट. से अधिक गेहूँ का निर्यात किया गया था।

(iii) टीपीटी के माध्यम से गेहूँ के निर्यात की मात्रा अन्य पत्तनों की अपेक्षा बहुत कम है। कुल गेहूँ निर्यात में टीपीटी की भागीदारी केवल 6.63% है।

(iv) निर्यातकों ने दावा किया है कि किसी पत्तन से प्रहस्तित मात्रा उस पत्तन विशेष की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता के अनुपात से जुड़ी होती है और तूतीकोरिन निश्चित रूप से महँगा पत्तन माना जाता है।

(v) इस परिप्रेक्ष्य में, 36/- रुपए प्रति मी.ट. की प्रस्तावित दर अभी भी अन्य पत्तनों में प्रचलित दरों से बहुत अधिक है।

(vi) तूतीकोरिन को गेहूँ के निर्यात के लिए व्यवहार्य पत्तन बनाने के लिए तूतीकोरिन में गेहूँ के निर्यात के घाटशुल्क प्रभार अन्य पत्तनों के समान स्तर पर निर्धारित किए जाएं।

ऑल इंडिया चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एआईसीसीआई)

(i) टीपीटी द्वारा प्रस्तावित घाटशुल्क प्रभारों में 36/- रुपए प्रति मी.ट. का संशोधन अधिक है और इससे न तो व्यापार को कोई सहायता मिलेगी और न ही तूतीकोरिन पत्तन से गेहूँ यातायात को बढ़ाने में प्रोत्साहन मिलेगा।

(ii) यदि घाटशुल्क कांडला पत्तन के बराबर कर दिया जाता है तो तूतीकोरिन पत्तन से गेहूँ यातायात में 10 लाख टन तक वृद्धि होने के अच्छे अवसर हैं।

(iii) इसने आईसीसीआई द्वारा दी गई अधिकांश टिप्पणियों को दोहराया है।

(iv) निर्यात गेहूँ की घाटशुल्क दर को कांडला पत्तन की 7.50 रुपए प्रति मी.ट. के बराबर किया जाए।

मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (एमएमटीसी)

(i) तूतीकोरिन पत्तन से अधिक यातायात को आकर्षित करने के लिए प्रभारों में पर्याप्त कमी की आवश्यकता है। इन प्रभारों को अन्य पत्तनों के बराबर किया जाना चाहिए।

(ii) टीपीटी द्वारा प्रस्तावित निर्यात गेहूँ के घाटशुल्क प्रभारों को 20/- रुपए प्रति मी.ट. किया जाए।

5.2. टीसीसीआई ने पहले दी गई टिप्पणियों को दोहराया है। सीएलएए और टीएसएए ने कहा है कि वे एमएमटीसी के अभ्यावेदन पर अपनी टिप्पणियाँ पहले ही भेज चुके हैं।

6.1. टीपीटी से निर्यातित गेहूँ पर घाटशुल्क में कमी के लिए हमें संसद सदस्य श्री पी.सुंदरराजन और तमिलनाडु सरकार के विशेष प्रतिनिधि डा. बी.पी. राजन से भी अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

7.1. इस मामले में एक संयुक्त सुनवाई 6 जून, 2002 को टीपीटी में आयोजित की गई थी। इस संयुक्त सुनवाई में निम्नलिखित निवेदन किए गए थे :-

मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कार्पोरेशन (एमएमटीसी)

(i) हमारा कोई कोटा नहीं है, इसकी अनन्त सीमा है। एफसीआई कम दर पर अधिक देने के लिए तैयार है। इसलिए, कम से कम 5 वर्ष के लिए पर्याप्त स्तरों पर निर्यात जारी रहेगा।
(ii) फिलीपींस, इंण्डोनेशिया और चीन बड़े आयातक हैं।
(iii) केपीटी की दरें कम हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ भीड़-भाड़ है।
(iv) हम वर्ष 2002-03 में टीपीटी से 5 लाख मी.ट. गेहूँ निर्यात करना चाहते हैं।
(v) टीपीटी का ड्रॉफ्ट वीपीटी, काकिनाडा, केपीटी, मुन्द्रा आदि के ड्राफ्ट की अपेक्षा कम है। इसलिए, हमें अधिक लागत परिचारक वाले छोटे जलयानों का प्रयोग करना पड़ता है।
(vi) कृपया हमारा निवेदन विभिन्न पत्तनों की तुलनात्मक स्थिति को ध्यान में रखकर देखें। टीपीटी की दरें बहुत अधिक हैं।
(vii) नुकसान 'काल्पनिक' है। यदि यहाँ अधिक दर है तो कार्गो कुछ अन्य पत्तनों को चला जाएगा।
(viii) हम 25/- रुपए मी.ट. की एकसमान दर से प्रसन्न होंगे।

कस्टम लाइसेंसधारी एजेंट्स एसोसिएशन (सीएलएए)

(i) एमएमटीसी द्वारा निर्यात किया जाने वाला गेहूँ टीपीटी के लिए नया कार्गो है। हम इस प्रगति का स्वागत करते हैं। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
(ii) टीपीटी में भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण लागत में वृद्धि हो जाती है। टीपीटी को उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (आईसीसीआई)

टीपीटी में भंडारण समस्याएँ और लदाई संबंधी अवरोध हैं। परिणामस्वरूप, मालभाड़ा घटक भी बिगड़ जाता है। एमएमटीसी के अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

तूतीकोरिन पत्तन न्यास

(i) हमने सकारात्मक जवाब दिया है। हमने उचित प्रस्ताव दिया है।
(ii) (क) अधिक छूट देने में आपत्ति है। हमारे पास कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं है।
(ख) एक बार रियायत देने से अन्य कार्गो से ऐसे आवेदनों की लाइन लग जाएगी।
(ग) मात्रात्मक छूट से हमें वित्तीय नुकसान होगा जिसे हम वहन नहीं कर सकते।
(iii) हम पहले दिए गए प्रस्ताव पर अडिग रहेंगे। यदि इसमें परिवर्तन किया जाता है तो बिना किसी मात्रात्मक छूट के एकसमान दर बनाई जाए।
(iv) हमें कुछ नहीं कहना है। इसका निर्णय महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण को करना है।

7.2. इस संयुक्त सुनवाई में, एमएमटीसी ने और लिखित निवेदन प्रस्तुत किए हैं, जिनका सार निम्नलिखित है :-
(i) निर्यात किए गए गेहूँ की मात्रा वर्ष 2000-01 में 81, 728 मी.ट. और वर्ष 2001-02 में 2,42,571 मी.ट. थी। मौजूदा वर्ष में एमएमटीसी 86,185 मी.ट. निर्यात कर चुका है।

(ii) एमएमटीसी चेन्नई पत्तन को छोड़कर देश के लगभग सभी महापत्तनों से गेहूँ निर्यात करता है और तूतीकोरिन भारतीय पेषण गेहूँ के निर्यात के लिए एमएमटीसी द्वारा चुना गया एक महापत्तन है।

(iii) घाटशुल्क, मजदूरी वसूली और ढुलाई सहित बल्क गेहूँ की कुल प्रहस्तन लागत कांडला में 39.50 रुपए, विशाखापट्णम में 42.85 रुपए और तूतीकोरिन पत्तन में 117.50 रुपए है। टीपीटी में पत्तन प्रचालनों की बहुत अधिक लागत तूतीकोरिन को गेहूँ निर्यात के लिए व्यवहार्य पत्तन बनाए रखने के लिए गंभीर चेतावनी है।

(iv) उपर्युक्त स्थिति और अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रतिस्पर्धा के मद्देनज़र, टीपीटी की घाटशुल्क दर को अन्य महापत्तनों में प्रचलित दरों के बराबर करने की तत्काल आवश्यकता है।

(v) इसने पिछले वर्ष के निर्यात को दुगुना करने और मौजूदा वर्ष के दौरान गेहूँ के निर्यात को 5 लाख टन तक पहुँचाने का बहुत महत्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। परंतु, यह तब तक संभव नहीं हो सकता, जब तक पत्तन में प्रचालनों की लागत को कम नहीं किया जाता।

(vi) इसलिए, एमएमटीसी ने निर्यात गेहूँ की घाटशुल्क दर को 15/- रुपए प्रति मी.ट. करने का अनुरोध किया है, ताकि टीपीटी को गेहूँ के निर्यात के लिए अन्य महापत्तनों की तरह व्यवहार्य रखा जा सके।

8. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है :-

(i) एमएमटीसी के अभ्यावेदन में, जिसे प्रशुल्क मामले के रूप में स्वीकार किया गया है, टीपीटी में गेहूँ निर्यात पर वसूल की जा रही वर्तमान घाटशुल्क दर में कमी करने की माँग की गई है। प्रयोक्ताओं से प्राप्त आवेदनों के प्रत्युत्तर में टीपीटी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव भी वर्तमान घाटशुल्क दर में कमी परिकलित करता है। एमएमटीसी की आपत्ति यह है कि टीपीटी द्वारा प्रस्तावित नई घाटशुल्क दरें भी अधिक हैं। चूंकि, घाटशुल्क दर में कमी करने के बारे में एमएमटीसी और पत्तन के बीच कोई विवाद नहीं है, इसलिए इस प्राधिकरण को घाटशुल्क दर में कमी की मात्रा के एकमात्र मुद्दे को हल करना है।

(ii) एमएमटीसी की माँग में सामंजस्य नहीं है। यद्यपि, इसके अभ्यावेदन में 20/- रुपए प्रति मी.ट. घाटशुल्क दर निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है, परंतु इसने 25/- रुपए प्रति मी.ट. की घाटशुल्क दर भी स्वीकार करने की इच्छा दिखाई है। एमएमटीसी द्वारा बाद में दिए गए लिखित निवेदन में 15/- रुपए प्रति मी.ट. की दर निर्धारित करने की प्रार्थना की गई है। यह ढुलमुल स्थिति राहत की माँग की विश्वसनीयता को समाप्त करती है, जोकि यथार्थ और अन्यथा योग्य होनी चाहिए।

(iii) एमएमटीसी और लगभग सभी अन्य प्रयोक्ता संगठनों, जिनसे इस कार्यवाही में विचार-विमर्श किया गया, ने यह दर्शाने के लिए विभिन्न महापत्तनों में प्रचलित घाटशुल्क दरों की विस्तृत तुलना की है कि टीपीटी में ही सबसे अधिक दर है। यहाँ अन्य पत्तनों में प्रचलित न्यूनतम दरों पर विचार करने का सुझाव दिया गया है, परंतु साथ ही साथ औसत दर पर विचार करने का सुझाव भी दिया गया है।

यह प्राधिकरण अपने बहुत से पूर्व आदेशों में स्पष्ट कर चुका है कि महापत्तनों में प्रशुल्क निर्धारण के लिए मानदंड, सिद्धांत, संकल्पनाएँ और दृष्टिकोण एकसमान हो सकते हैं; परंतु आवश्यक नहीं कि दरें एकसमान हों। इसकी समग्र स्थिति पर विचार किए बिना, अलग-अलग वस्तुओं की अलग-अलग दरों की तुलना करने से कोई अर्थपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

(iv) टीपीटी की दरों के मान अंतिम बार दिसम्बर, 1999 में संशोधित किए गए थे। संशोधन-पूर्व दरों के मान में जोन 'क' में गेहूँ के निर्यात की घाटशुल्क दर 20/- रुपए प्रति मी.ट. और जोन 'ख' के लिए 12/- रुपए प्रति मी.ट. निर्धारित थी। वर्ष 1999 के सामान्य संशोधन में, निर्यात गेहूँ के घाटशुल्क की पृथक प्रविष्टि टीपीटी के प्रस्ताव पर हटा दी गई थी और गेहूँ को 'खाद्यान्न' की सामान्य प्रविष्टि के दायरे में ला दिया गया था। विशेष प्रविष्टि को हटाने का प्रस्ताव शायद इस तथ्य के कारण किया गया था कि वहाँ वर्ष 1992-99 के दौरान गेहूँ का कोई यातायात नहीं था। यह सही है कि दरों के मान में पिछले संशोधन के समय प्रशुल्क की इस मद पर ज्यादा चर्चा नहीं की गई थी। प्रयोक्ताओं ने भी गेहूँ की विशेष प्रविष्टि को हटाने का विरोध नहीं किया था। दुबारा, यह इस तथ्य के कारण हुआ कि प्रयोक्ता संगठनों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तब निर्यात गेहूँ की मात्रा उल्लेखनीय नहीं थी।

टीपीटी से इस समय गुजरने वाले गेहूँ यातायात की मात्रा के मद्देनज़र, गेहूँ के लिए पृथक प्रशुल्क प्रविष्टि पुनः स्थापित करना उचित होगा। यह उल्लेखनीय है कि टीपीटी ने भी पृथक प्रविष्टि पुनः लागू करने का प्रस्ताव किया है। किन्तु, टीपीटी द्वारा प्रस्तावित संशोधित दरें अभी भी जोन 'क' और जोन 'ख' में गेहूँ निर्यात के लिए पहले दी गई दरों से क्रमशः 84% और 33% अधिक हैं।

1999 के सामान्य संशोधन में, बोर्ड के सम्मुख प्रशुल्क में 18% वृद्धि की अनुमति दी गई थी। यदि गेहूँ की पृथक

प्रविष्टि जारी रहती तो इसमें भी केवल 18% वृद्धि की जा सकती थी। चूंकि, गेहूँ के लिए पृथक प्रविष्टि पुनः स्थापित करने के लिए सहमति हो चुकी है, इसलिए वर्ष 1999 से पूर्व की दर में 1999 में अनुमोदित प्रशुल्कों में की गई सामान्य वृद्धि के अनुसार वृद्धि कर दर निर्धारित करना उचित होगा। इससे जोन 'क' में गेहूँ के निर्यात की घाटशुल्क दर 23.60 रुपए प्रति मी.ट. और जोन 'ख' में 14.20 रुपए प्रति मी.ट. निर्धारित होगी।

(v) पर्याप्त सावधानी द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि अब निर्धारित संशोधित दर केवल भविष्य-प्रभाव से लागू होगी। दिसम्बर, 1999 से संशोधित दर लागू होने तक अवधि के दौरान प्रहस्तित सभी परेषणों पर घाटशुल्क की वसूली प्रचलित दरों के मान के अंतर्गत की गई वसूली मानी जाएगी।

(vi) गेहूँ टीपीटी में पर्याप्त यातायात मद नहीं थी। वास्तव में, इस पत्तन से उल्लेखनीय मात्रा में निर्यात की शुरूआत केवल पिछले वर्ष से हुई है। एमएमटीसी द्वारा दिए गए अनुमानों के अनुसार, मात्राएँ बढ़ेंगी और यह प्रवृत्ति अगले 4-5 वर्ष तक जारी रहने की संभावना है। ऐसी स्थिति में, इस वस्तु को टीपीटी से गुजरने वाले नए यातायात के रूप में देखा जाना चाहिए और इसलिए घाटशुल्क दर में परिवर्तन से पत्तन के राजस्व पर कोई गंभीर असर नहीं पड़ेगा।

(vii) टीपीटी ने अपने प्रस्ताव में मात्रा छूट योजना लागू करने का सुझाव दिया है। संयुक्त सुनवाई में पत्तन ने इस बात का समर्थन किया था कि यदि उसके द्वारा प्रस्तावित दरें स्वीकार नहीं की जाती हैं तो बिना किसी मात्रा छूट के एकसमान दर लागू की जा सकती है। एमएमटीसी ने भी एकसमान दर को स्वीकार करने के लिए अपनी इच्छा की सूचना दी है। चूंकि, टीपीटी द्वारा प्रस्तावित दरें अनुमोदित नहीं हैं, इसलिए एकसमान दर रखने के लिए पत्तन के अनुरोध पर सकारात्मक रूप से विचार किया जा सकता है। इस संबंध में पत्तन द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार करने का यह अर्थ कदापि न लगाया जाए कि मात्रा छूट योजनाओं के संबंध में पत्तन की सामान्य आपत्ति को मान लिया गया है। इस प्राधिकरण की उल्लिखित स्थिति मात्रा छूट योजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए है और इस दिशा में ऐसी योजनाएँ बहुत से अन्य पत्तन न्यासों में लागू की गई हैं। यदि आवश्यकता पड़ती है तो ऐसी योजनाएँ टीपीटी में भी लागू की जा सकती हैं।

(viii) हाल ही में निर्णीत कुछ अन्य मामलों में, इस प्राधिकरण ने आयात और निर्यात की घाटशुल्क दर अलग-अलग निर्धारित करने की पद्धति को छोड़ने का निर्णय लिया है। गेहूँ के मामले में भी, आयात और निर्यात के बीच बिना अन्तर किए प्रस्तावित दरें लागू की जा सकती हैं। उल्लेखनीय है कि गेहूँ आयात करना भी निर्यात के लिए लागू प्रविष्टि के अधीन है, इसलिए पत्तन को कोई विशेष वित्तीय उलझन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गेहूँ का आयात इन दिनों लगभग अप्रचलित है।

(ix) टीपीटी के जोन 'क' और जोन 'ख' में गेहूँ प्रहस्तन के लिए अलग-अलग घाटशुल्क दर निर्धारित की गई है। यह वर्तमान दरों के मान की अन्य वस्तुओं के लिए निर्धारित विभिन्नता के अनुसार किया गया है। दर में असमानता की स्थिति लागत स्थिति के संदर्भ में औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। चूंकि, इस कार्यवाही के हिस्से के रूप में लागत स्थिति की विस्तृत जाँच नहीं की गई है, इसलिए सभी अन्य कार्गो के लिए प्रवृत्त स्थिति को गेहूँ के मामले में भी लागू किया जाए। जोन 'क' और जोन 'ख' में दरों में विभिन्नता के मुद्दे की तब सामान्य संशोधन प्रस्ताव के हिस्से के रूप में अधिक अर्थपूर्ण जाँच की जा सकती है, जब विभिन्न गतिविधियों की लागत स्थिति की विस्तृत जाँच की जाएगी।

9. परिणामस्वरूप, उपर्युक्त कारणों और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण एमएमटीसी के अभ्यावेदन को भावी प्रभाव से टीपीटी की दरों के मान में गेहूँ की घाटशुल्क दर जोन 'क' में 23.60 रुपए प्रति मी.ट. और जोन 'ख' में 14.20 प्रति मी.ट. निर्धारित करने की अनुमति देता है।

9.2. टीपीटी को निदेश दिया जाता है कि वह अपनी दरों के मान में तदनुसार संशोधन करे।

9.3. यह आदेश भारत के राजपत्र में अधिसूचित होने की तारीख से 15 दिन की समाप्ति के पश्चात प्रभावी होगा।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2002/असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2002

No. TAMP/112/2001-TPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the representation of the Metal and Mineral Trading Corporation Limited (MMTC) for a reduction in the wharfage rate on wheat exported through the Tuticorin Port as in the Order appended hereto.